Bill No. 39 of 2015

THE RAJASTHAN INDIAN MEDICINE (AMENDMENT) BILL, 2015

(To be Introduced in the Rajasthan Legislative Assembly)

A

Bill

further to amend the Rajasthan Indian Medicine Act, 1953.

Be it enacted by the Rajasthan State Legislature in the Sixty-sixth Year of the Republic of India, as follows:-

1. Short title and commencement.- (1) This Act may be called the Rajasthan Indian Medicine (Amendment) Act, 2015.

(2) It shall come into force at once.

2. Amendment of section 3, Rajasthan Act No. 5 of 1953.- In sub-section (1) of section 3 of the Rajasthan Indian Medicine Act, 1953 (Act No. 5 of 1953), hereinafter referred to as the principal Act,-

(i) in clause (vi), after the existing expression " Unani Tibbi system of medicine" and before the existing expression ",whether", the expression "or Naturopathy and Yoga Chikitsa" shall be inserted;

(ii) in clause (xii), after the existing expression "or Hakims" and before the existing expression "or midwives", the expression "or Naturopathy and Yoga Chikitsaks" shall be inserted;

(iii) in clause (xix) for the existing punctuation mark"." appearing at the end, the punctuation mark ";" shall be substituted; and

(iv) after the clause (xix) so amended, the following new clause shall be added, namely:-

"(xx) "Naturopathy and Yoga Chikitsak" means a practitioner of the Naturopathy and Yoga system of treatment.".

3. Amendment of section 6, Rajasthan Act No. 5 of 1953.- In sub-section (1) of section 6 of the principal Act,-

(i) for the existing expression "eleven members", the expression "thirteen members" shall be substituted;

(ii) after the existing clause (iii) and before the existing clause (iv), the following new clause shall be inserted, namely:-

"(iii-a) One member shall be nominated by the State Government from amongst Naturopathy and Yoga Chikitsaks who are paid servants of the Government;" and

(iii) after the existing clause (v) and before the existing clause (vi), the following new clause shall be inserted, namely:-

"(v-a) One member shall be elected by the registered Naturopathy and Yoga Chikitsaks from amongst themselves in the prescribed manner;".

4. Amendment of section 20, Rajasthan Act No. 5 of 1953.- In section 20 of the principal Act,-

(i) in clause (ii) of sub-section (1) the existing word "and" shall be deleted;

(ii) after the clause (ii) of sub-section (1) so amended and before the existing clause (iii), the following new clause shall be inserted, namely:-

"(ii-a) a Naturopathy and Yoga Committee, and";

(iii) in sub-clause (ii) of clause (b) of sub-section (2) the existing word "and" shall be deleted; and

(iv) after the sub-clause (ii) of clause (b) of sub-section (2) so amended and before the existing sub-clause (iii), the following new sub-clause shall be inserted, namely:-

"(ii-a) Naturopathy and Yoga Chikitsak in the case of Naturopathy and Yoga Committee, and".

5. Amendment of section 23, Rajasthan Act No. 5 of 1953.- In sub-section (1) of section 23 of the principal Act, for the existing expression “Ayurvedic and Unani Tibbi”, the expression “Ayurvedic, Unani Tibbi and Naturopathy and Yoga” shall be substituted.

6. Amendment of section 31, Rajasthan Act No. 5 of 1953.- In section 31 of the principal Act,-

(i) in clause (ii), the existing word “and” shall be deleted;

(ii) after the clause (ii) so amended and before the existing clause (iii), the following new clause shall be inserted, namely:-

“(ii-a) a register of Naturopathy and Yoga Chikitsaks, and”; and

(iii) in sub-clause (a) after the existing expression “Vaidyas, Hakims” and before the existing expression “and Midwives”, the expression “,Naturopathy and Yoga Chikitsaks” shall be inserted.

7. Amendment of section 32, Rajasthan Act No. 5 of 1953.- In sub-section (1) of section 32 of the principal Act, after the existing expression “Vaidyas, Hakims” and before the existing expression “or Midwife”, the expression “, Naturopathy and Yoga Chikitsak” shall be inserted.

8. Amendment of section 35, Rajasthan Act No. 5 of 1953.- In section 35 of the principal Act, after the existing expression “Vaidyas, Hakims” and before the existing expression “and Midwives”, the expression “,Naturopathy and Yoga Chikitsaks” shall be inserted.

9. Amendment of section 38, Rajasthan Act No. 5 of 1953.- In clause (a) of sub- section (1) of section 38 of the principal Act, after the existing expression “Vaidya, Hakim” and before the existing expression “or Midwife”, the expression, “Naturopathy and Yoga Chikitsak” shall be inserted.

10. Amendment of section 47, Rajasthan Act No. 5 of 1953.- In clause (4) of section 47 of the principal Act, for the

existing expression “Ayurvedic and Unani Tibbi”, the expression “Ayurvedic, Unani Tibbi and Naturopathy and Yoga” Shall be substituted.

11. Amendment of section 51, Rajathan Act No. 5 of 1953.- In clause (3) of section 51 of the principal Act, for the existing expression“Vaidya, Hakim, midwife or other medical officer in any Ayurvedic or Unani”, the expression “Vaidya, Hakim, Naturopathy and Yoga Chikitsak, midwife or other medical officer in any Ayurvedic or Unani Tibbi or Naturopathy and Yoga” shall be substituted.

12. Amendment of section 52, Rajasthan Act No. 5 of 1953.- In section 52, of the principal Act,-

(i) after the existing expression “registered Vaidya, Hakim” and before the existing expression “or Midwife who”, the expression “, Naturopathy and Yoga Chikitsak” shall be inserted;

(ii) after the existing expression “as Vaidya, Hakim,” and before the existing expression “midwife or other”, the expression “Naturopathy and Yoga Chikitsak,” shall be inserted;

(iii) after the existing expression “Ayurvedic or Unani Tibbi” and before the existing expression “Hospital,”, the expression “or Naturopathy and Yoga” shall be inserted; and

(iv) in proviso, after the existing expression “Vaidyas, Hakims” and before the existing expression “and midwives”, the expression “, Naturopathy and Yoga Chikitsaks” shall be inserted.

13. Amendment of section 54, Rajasthan Act No. 5 of 1953.- In clause (f) of sub- section (2) of section 54 of the principal Act, after the existing expression “Vaidyas, Hakims” and before the existing expression “and midwives”, the expression, “Naturopathy and Yoga Chikitsaks” shall be inserted.

14. Amendment of the Schedule, Rajasthan Act No. 5 of 1953.- In Part A of the Schedule of the principal Act, after the existing entry 5 the following new entry shall be added, namely:-

"6. Naturopathy and Yoga Chikitsak who have passed Bachelor of Naturopathy and Yogic Sciences (BNYS) Degree from University established by law in India (Five or more than five years' regular course).".

STATEMENT OF OBJECTS AND REASONS

At present there is no law to provide for the development of the Naturopathy and Yoga system of medicine and for the regulation of the practitioners of the Naturopathy and Yoga system of medicine and also to register the practitioners in the State of Rajasthan, the State Government has decided to make necessary amendments in the Rajasthan Indian Medicine Act, 1953.

The Bill seeks to achieve the aforesaid objectives.

Hence the Bill.

राजेन्द्र राठौड़,
Minister Incharge.

MEMORANDUM REGARDING DELEGATED LEGISLATION

Clause 3 of the Bill, if enacted, shall empower the State Government, to authorise the registered Naturopathy and Yoga Chikitsaks, to elect one member to the Board, from amongst themselves under the proposed sub-section (1) of section 6.

The proposed delegation is of normal character and relates to the matters of detail.

राजेन्द्र राठौड़,
Minister Incharge.

EXTRACTS TAKEN FROM THE RAJASTHAN INDIAN MEDICINE ACT, 1953

(Act No. 5 of 1953)

XX XX XX XX XX XX XX

3. Interpretation.- (1) In this Act, unless there is anything repugnant in the subject or context-

(i) to (v) xx xx xx xx xx xx xx

(vi) "Indian system of medicine" means the Ayurvedic or the Unani Tibbi system of medicine, whether supplemented or not by modern advances;

(vii) to (xi) xx xx xx xx xx xx xx

(xii) "register" means a register of Vaidyas or Hakims or midwives of either class maintained under section 31;

(xiii) to (xviii) xx xx xx xx xx xx

(xix) "Vaidya" means a practitioner of the Ayuvedic system of medicine or surgery.

(2) xx xx xx xx xx xx

XX XX XX XX XX XX XX

6. Constitution of the Board.- (1) The Board shall consist of eleven members, including the Chairman, appointed in the following manner, namely:-

(i) The Chairman shall be nominated by the State Government preferably from amongst practitioners and shall not be a paid servant of the Government;

(ii) Three members shall be nominated by the State Government from amongst Vaidyas who are paid servants of the Government;

(iii) One member shall be nominated by the State Government from amongst Hakims who are paid servants of the Government;

(iv) Four members shall be elected by the registered Vaidyas from amongst themselves in the prescribed manner;

(v) One member shall be elected by the registered Hakims from amongst themselves in the prescribed manner;

(vi) One member shall be elected by the registered midwives from amongst themselves in the prescribed manner.

(2) to (4) xx xx xx xx xx xx

XX XX XX XX XX XX XX

20. Establishment of Advisory Committees.- (1) The Board shall, subject to any rules made in this behalf, appoint the following Advisory Committees namely:-

(i) an Ayurvedic Committee,

(ii) a Unani Tibbi Committee, and

(iii) a midwifery Committee.

(2) Each committee shall consist of-

(a) the Chairman who shall preside over its meetings, and

(b) two members who shall be –

(i) Vaidyas in the case of the Ayurvedic Committee,

(ii) Hakims in the case of the Unani Tibbi Committee, and

(iii) Midwives in the case of the midwifery Committee,

appointment by the Board from amongst its own members or outsiders or both, as it may decide.

(3) to (5) xx xx xx xx xx xx

XX XX XX XX XX XX XX

23. Allotment of funds and their control.- (1) The State Government may place a lump sum allotment at the disposal of the

Board every year for distribution according to rules made by the State Government to the Ayurvedic and Unani Tibbi dispensaries, hospital, infirmaries, lying in hospitals, surgical institutions and maternity houses in Rajasthan and other suitable institutions consistent with the aims and objects of this Act.

(2) xx xx xx xx xx xx

XX XX XX XX XX XX XX

31. Maintenance of registers.- The Board shall maintain in the prescribed form and in the prescribed manner,-

(i) a register of Vaidyas,

(ii) a register of Hakims, and

(iii) a register of Midwives,

each such register being divided into two parts-

(a) the first part containing the names of Vaidyas, Hakims and Midwives, as the case may be, belonging to class A, and

(b) the second part containing the names of those belonging to class B.

32. Persons entitled to be registered.- (1) Every person possessing any of the qualifications mentioned in part A of the Schedule shall, subject to the other provisions of this Act and on payment of the fee prescribed by section 33, be entitled, subject to such conditions as the Board may prescribe, to have his name entered in the appropriate register as a "A" class Vaidya, Hakim or Midwife, as the case may be.

(2) to (7) xx xx xx xx xx xx

XX XX XX XX XX XX XX

35. Maintenance of lists.- The Board shall also maintain in the prescribed form and in the prescribed manner separate lists of practising Vaidyas, Hakims and Midwives who are neither registerd nor qualified to be registerd.

XX XX XX XX XX XX XX

38. Amendment of schedule.- (1) If the Board is satisfied-

(a) that a title, degree or certificate granted by a University, medical corporation, examining body or other institution not included for the time being in part "A" of the schedule, is sufficient guarantee that the person holding such title, degree or certificate possesses the knowledge or skill requisite, in the opinion of the Board, for efficient Practice as a "A" class Vaidya, Hakim or Midwife, or

(b) to (d) xx xx xx xx xx xx

(2) xx xx xx xx xx xx

XX XX XX XX XX XX XX

47. Powers of the Board.- The Board shall have the following powers, namely:-

(1) to (3) xx xx xx xx xx xx

(4) subject to rules made by the State Government to distribute grants out of the funds placed at the disposal of the Board, to Ayurvedic and Unani Tibbi dispensaries and hospitals, infirmaries, lying in hospitals, surgical institutions and maternity houses in Rajasthan; and

(5) xx xx xx xx xx xx

XX XX XX XX XX XX XX

51. Qualified practitioner's certificates.- Notwithstanding anything contained in any law for the time being in force and subject to the provisions of section 50-

(1) to (2) xx xx xx xx xx xx

(3) A registered practitioner shall be eligible to hold any appointment as a Vaidya, Hakim, midwife or other medical officer in any Ayurvedic or Unani dispensary, hospital, infirmary, lying in hospital, surgical institution or maternity house supported by or receiving a grant from the State Government or in any public establishment, body or institution dealing with an Indian system of medicine, surgery or midwifery.

(4) xx xx xx xx xx xx

52. Reservation of certain appointments to Vaidyas etc, who have qualified themselves from educational institutions recognised by the Board.- Except with the special sanction of the State Government, no person, other than a registered Vaidya, Hakim or midwife who has qualified himself or herself from an institution recognised by the Board for the purpose, and is a domiciled resident of Rajasthan, shall be competent to hold an appointment as medical officer of health or as Vaidya, Hakim, midwife or other medical officer in an Ayurvedic or Unani Tibbi Hospital, infirmary, dispensary, lying in hospital, surgical institution or maternity house maintained by or under the control of the State Government or a local authority:

Provided that Vaidyas, Hakims and midwives in the employ of the State Government or a local authority on the date on which this Act comes into force shall continue to hold their appointments.

XX XX XX XX XX XX XX

54. **Rules.-** (1) xx xx xx xx xx xx

(2) In particular, and without prejudice to the generality of the foregoing power, the State Government may make rules for any of the following matters, namely:-

(a) to (e) xx xx xx xx xx xx

(f) the form of the registers and lists of Vaidyas, Hakims and midwives to be maintained under this Act;

(g) to (l) xx xx xx xx xx xx

(3) xx xx xx xx xx xx

XX XX XX XX XX XX XX

THE SCHEDULE
(See Section 32)

PART A

PERSONS WHO ARE ENTITLED TO HAVE THEIR NAMES ENTERED IN PART A OF THE REGISTERS

1. to 4. xx xx xx xx xx xx

5. Vaidyas, Hakims or midwives practising in Rajasthan-
   (a) Who at the commencement of this Act are registered as "A" class vaidyas, Hakims or midwives under the jaipur Ayurvedic and Unani Tibbi practitioners Act, 1943, or
   (b) Who, though not possessing any of the qualifications specified in this part, are, in the opinion of the Board, of sufficient standing, reputation and ability and are so well-known for their skill in their profession as to entitle them to claim registration in part A of the registers, provided that they fulfil the prescribed condition as to the length of their practice.

PART B xx xx xx xx

XX XX XX XX XX XX XX

(प्राधिकृत हिन्दी अनुवाद)

2015 का विधेयक सं.39

राजस्थान भारतीय चिकित्सा (संशोधन) विधेयक, 2015

(जैसाकि राजस्थान विधान सभा में पुरःस्थापित किया जायेगा)

राजस्थान भारतीय चिकित्सा अधिनियम, 1953 को और संशोधित करने के लिए विधेयक।

भारत गणराज्य के छियासठवें वर्ष में राजस्थान राज्य विधान-मण्डल निम्नलिखित अधिनियम बनाता है:-

1. संक्षिप्त नाम और प्रारम्भ.- (1) इस अधिनियम का नाम राजस्थान भारतीय चिकित्सा (संशोधन) अधिनियम, 2015 है।

(2) यह तुरन्त प्रवृत्त होगा।

2. 1953 के राजस्थान अधिनियम सं. 5 की धारा 3 का संशोधन.- राजस्थान भारतीय चिकित्सा अधिनियम, 1953 (1953 का अधिनियम सं. 5), जिसे इसमें आगे मूल अधिनियम कहा गया है, की धारा 3 की उप-धारा (1) में,-

(i) खण्ड (vi) में, विद्यमान अभिव्यक्ति "यूनानी तिब्बी चिकित्सा पद्धति" के पश्चात् और विद्यमान अभिव्यक्ति "अभिप्रेत है," के पूर्व अभिव्यक्ति "या प्राकृतिक चिकित्सा और योग चिकित्सा" अन्त:स्थापित की जायेगी;

(ii) खण्ड (xii) में, विद्यमान अभिव्यक्ति "या हकीमों" के पश्चात् और विद्यमान अभिव्यक्ति "अथवा दाइयों" के पूर्व अभिव्यक्ति "या प्राकृतिक चिकित्सा और योग चिकित्सकों" अन्त:स्थापित की जायेगी;

(iii) खण्ड (xix) में अन्त में आये हुए विद्यमान विराम चिह्न "।" के स्थान पर विराम चिह्न ";" प्रतिस्थापित किया जायेगा; और

(iv) इस प्रकार संशोधित खण्ड (xix) के पश्चात्, निम्नलिखित नया खण्ड जोड़ा जायेगा, अर्थात्:-

"(xx) "प्राकृतिक चिकित्सा और योग चिकित्सक" से उपचार की प्राकृतिक चिकित्सा और योग

चिकित्सा पद्धति का कोई व्यवसायी अभिप्रेत है।"।

3. 1953 के राजस्थान अधिनियम सं. 5 की धारा 6 का संशोधन.- मूल अधिनियम की धारा 6 की उप-धारा (1) में,-

(i) विद्यमान अभिव्यक्ति "ग्यारह सदस्य" के स्थान पर अभिव्यक्ति "तेरह सदस्य" प्रतिस्थापित की जायेगी;

(ii) विद्यमान खण्ड (iii) के पश्चात् और विद्यमान खण्ड (iv) के पूर्व, निम्नलिखित नया खण्ड अन्त:स्थापित किया जायेगा, अर्थात्:-

"(iii-क) एक सदस्य प्राकृतिक चिकित्सा और योग चिकित्सकों में से, जो सरकार के वैतनिक कर्मचारी हैं, राज्य सरकार द्वारा नामनिर्देशित किया जायेगा;" और

(iii) विद्यमान खण्ड (v) के पश्चात् और विद्यमान खण्ड (vi) के पूर्व निम्नलिखित नया खण्ड अन्त:स्थापित किया जायेगा, अर्थात्:-

"(v-क) एक सदस्य रजिस्ट्रीकृत प्राकृतिक चिकित्सा और योग चिकित्सकों द्वारा अपने में से विहित रीति से निर्वाचित किया जायेगा,"।

4. 1953 के राजस्थान अधिनियम सं. 5 की धारा 20 का संशोधन.- मूल अधिनियम की धारा 20 में,-

(i) उप-धारा (1) के खण्ड (ii) में विद्यमान शब्द "और" हटाया जायेगा;

(ii) उप-धारा (1) के इस प्रकार संशोधित किये गये खण्ड (ii) के पश्चात् और विद्यमान खण्ड (iii) के पूर्व, निम्नलिखित नया खण्ड अन्त:स्थापित किया जायेगा, अर्थात्:-

"(ii-क) प्राकृतिक चिकित्सा और योग समिति, और";

(iii) उप-धारा (2) के खण्ड (ख) के उप-खण्ड (ii) में, विद्यमान शब्द "और" हटाया जायेगा; और

(iv) उप-धारा (2) के खण्ड (ख) के इस प्रकार संशोधित किये गये उप-खण्ड (ii) के पश्चात् और विद्यमान उप-खण्ड (iii) के

पूर्व, निम्नलिखित नया उप-खण्ड अन्त:स्थापित किया जायेगा, अर्थात्:-

"(ii-क) प्राकृतिक चिकित्सा और योग समिति के मामले में प्राकृतिक चिकित्सा और योग चिकित्सक होंगे, और"।

5. 1953 के राजस्थान अधिनियम सं. 5 की धारा 23 का संशोधन.- मूल अधिनियम की धारा 23 की उप-धारा (1) में, विद्यमान अभिव्यक्ति "आयुर्वेदिक तथा यूनानी तिब्बी" के स्थान पर अभिव्यक्ति "आयुर्वेदिक, यूनानी तिब्बी तथा प्राकृतिक चिकित्सा और योग" प्रतिस्थापित की जायेगी।

6. 1953 के राजस्थान अधिनियम सं. 5 की धारा 31 का संशोधन.- मूल अधिनियम की धारा 31 में,-

(i) खण्ड (ii) में, विद्यमान शब्द "और" हटाया जायेगा;

(ii) इस प्रकार संशोधित किये गये खण्ड (ii) के पश्चात् और विद्यमान खण्ड (iii) के पूर्व, निम्नलिखित नया खण्ड अन्त:स्थापित किया जायेगा, अर्थात्:-

"(ii-क) प्राकृतिक चिकित्सा और योग चिकित्सकों का एक रजिस्टर, और"; और

(iii) उप-खण्ड (क) में, विद्यमान अभिव्यक्ति "वैद्यों, हकीमों" के पश्चात् और विद्यमान अभिव्यक्ति "और दाईयों" के पूर्व अभिव्यक्ति ", प्राकृतिक चिकित्सा और योग चिकित्सकों " अन्त:स्थापित की जायेगी।

7. 1953 के राजस्थान अधिनियम सं. 5 की धारा 32 का संशोधन.- मूल अधिनियम की धारा 32 की उप-धारा (1) में, विद्यमान अभिव्यक्ति "वैद्य, हकीम" के पश्चात् और विद्यमान अभिव्यक्ति "अथवा दाई" के पूर्व अभिव्यक्ति ", प्राकृतिक चिकित्सा और योग चिकित्सक" अन्त:स्थापित की जायेगी।

8. 1953 के राजस्थान अधिनियम सं. 5 की धारा 35 का संशोधन.- मूल अधिनियम की धारा 35 में, विद्यमान अभिव्यक्ति "वैद्यों, हकीमों" के पश्चात् और विद्यमान अभिव्यक्ति "और दाईयों" के

पूर्व अभिव्यक्ति ", प्राकृतिक चिकित्सा और योग चिकित्सकों" अन्त:स्थापित की जायेगी।

9. 1953 के राजस्थान अधिनियम सं. 5 की धारा 38 का संशोधन.- मूल अधिनियम की धारा 38 की उप-धारा (1) के खण्ड (क) में, विद्यमान अभिव्यक्ति "वैद्य, हकीम" के पश्चात् और विद्यमान अभिव्यक्ति "या दाई" के पूर्व अभिव्यक्ति ", प्राकृतिक चिकित्सा और योग चिकित्सक" अन्त:स्थापित की जायेगी।

10. 1953 के राजस्थान अधिनियम सं. 5 की धारा 47 का संशोधन.- मूल अधिनियम की धारा 47 के खण्ड (4) में, विद्यमान अभिव्यक्ति "आयुर्वेदिक तथा यूनानी तिब्बी" के स्थान पर अभिव्यक्ति "आयुर्वेदिक, यूनानी तिब्बी तथा प्राकृतिक चिकित्सा और योग" प्रतिस्थापित की जायेगी।

11. 1953 के राजस्थान अधिनियम सं. 5 की धारा 51 का संशोधन.- मूल अधिनियम की धारा 51 के खण्ड (3) में, विद्यमान अभिव्यक्ति "किसी आयुर्वेदिक या यूनानी चिकित्सालय, अस्पताल, रुग्णालय, प्रसवालय, शल्य चिकित्सा-संस्था या प्रसूतिगृह में अथवा भारतीय चिकित्सा, शल्य चिकित्सा तथा प्रसूति विद्या के संबंध में संव्यवहार करने वाले किसी सार्वजनिक स्थापन निकाय या संस्था में वैद्य, हकीम, दाई या अन्य चिकित्सा अधिकारी के रूप में" के स्थान पर अभिव्यक्ति "किसी भी आयुर्वेदिक या यूनानी तिब्बी या प्राकृतिक चिकित्सा और योग चिकित्सालय, अस्पताल, रुग्णालय, प्रसवालय, शल्य चिकित्सा-संस्था या प्रसूतिगृह में अथवा भारतीय चिकित्सा, शल्य चिकित्सा तथा प्रसूति विद्या के संबंध में संव्यवहार करने वाले किसी सार्वजनिक स्थापन, निकाय या संस्था में वैद्य, हकीम, प्राकृतिक चिकित्सा और योग चिकित्सक, दाई या अन्य चिकित्सा अधिकारी के रूप में" प्रतिस्थापित की जायेगी।

12. 1953 के राजस्थान अधिनियम सं. 5 की धारा 52 का संशोधन.- मूल अधिनियम की धारा 52 में,-

(i) विद्यमान अभिव्यक्ति "रजिस्ट्रीकृत वैद्य, हकीम" के पश्चात् और विद्यमान अभिव्यक्ति "या दाई से" के

पूर्व अभिव्यक्ति ", प्राकृतिक चिकित्सा और योग चिकित्सक" अन्त:स्थापित की जायेगी;

(ii) विद्यमान अभिव्यक्ति "वैद्य, हकीम," के पश्चात् और विद्यमान अभिव्यक्ति ", दायी या अन्य" के पूर्व अभिव्यक्ति "प्राकृतिक चिकित्सा और योग चिकित्सक" अन्त:स्थापित की जायेगी;

(iii) विद्यमान अभिव्यक्ति "आयुर्वेदिक या यूनानी तिब्बी" के पश्चात् और विद्यमान अभिव्यक्ति "अस्पताल" के पूर्व, अभिव्यक्ति "या प्राकृतिक चिकित्सा और योग चिकित्सा" अन्त:स्थापित की जायेगी; और

(iv) परन्तुक में, विद्यमान अभिव्यक्ति "वैद्य, हकीम" के पश्चात् और विद्यमान अभिव्यक्ति "और दाई" के पूर्व अभिव्यक्ति ", प्राकृतिक चिकित्सा और योग चिकित्सक" अन्त:स्थापित की जायेगी।

13. 1953 के राजस्थान अधिनियम सं. 5 की धारा 54 का संशोधन.- मूल अधिनियम की धारा 54 की उप-धारा (2) के खण्ड (च) में, विद्यमान अभिव्यक्ति "वैद्यों, हकीमों" के पश्चात् और अभिव्यक्ति "और दाईयों" के पूर्व अभिव्यक्ति ", प्राकृतिक चिकित्सा और योग चिकित्सकों" अन्त:स्थापित की जायेगी।

14. 1953 के राजस्थान अधिनियम सं. 5 की अनुसूची का संशोधन.- मूल अधिनियम की अनूसूची के भाग क में, विद्यमान प्रविष्टि 5 के पश्चात् निम्नलिखित नयी प्रविष्टि जोड़ी जायेगी, अर्थात्:-

"6. प्राकृतिक चिकित्सा और योग चिकित्सक जिन्होंने भारत में विधि द्वारा स्थापित विश्वविद्यालय से प्राकृतिक चिकित्सा और योग विज्ञान में स्नातक (बीएनवाईएस) (पांच या पांच से अधिक वर्षों के नियमित पाठ्यक्रम) की उपाधि प्राप्त की है।"।

उद्देश्यों और कारणों का कथन

चिकित्सा की प्राकृतिक चिकित्सा और योग पद्धति के विकास के लिए और चिकित्सा की प्राकृतिक चिकित्सा और योग पद्धति के व्यवसायियों का विनियमन करने के लिए और राजस्थान राज्य में व्यवसायियों का रजिस्ट्रीकरण करने के लिए भी, वर्तमान में कोई विधि उपबंधित नहीं है, राज्य सरकार ने, राजस्थान भारतीय चिकित्सा अधिनियम, 1953 में आवश्यक संशोधन करने का विनिश्चय किया है।

यह विधेयक पूर्वोक्त उद्देश्यों की प्राप्ति के लिए ईप्सित है।

अत: विधेयक प्रस्तुत है।

राजेन्द्र राठौड़,
प्रभारी मंत्री।

प्रत्यायोजित विधान संबंधी ज्ञापन

विधेयक का खण्ड 3, यदि अधिनियमित किया जाता है तो, धारा 6 की प्रस्तावित उप-धारा (1) के अधीन राज्य सरकार को, रजिस्ट्रीकृत प्राकृतिक चिकित्सा और योग चिकित्सकों को उनमें से बोर्ड का एक सदस्य निर्वाचित करने के लिए प्राधिकृत करने हेतु सशक्त करेगा।

प्रस्तावित प्रत्यायोजन सामान्य प्रकृति का है और ब्यौरे के विषयों से संबंधित है।

राजेन्द्र राठौड़,
प्रभारी मंत्री।

राजस्थान भारतीय चिकित्सा अधिनियम, 1953 (1953 का अधिनियम सं. 5) से लिये गये उद्धरण

XX XX XX XX XX

3. निर्वचन:- (1) जब तक संदर्भ से कोई बात विरुद्ध न हो इस अधिनियम में,

(i) से (v) XX XX XX XX XX

(vi) "भारतीय चिकित्सा पद्धति" से आयुर्वेदिक या यूनानी तिब्बी चिकित्सा पद्धति अभिप्रेत है, जिसे चाहे आधुनिक प्रगतियों से अनुपूरित किया गया हो या नहीं;

(vii) से (xi) XX XX XX XX XX

(xii) "रजिस्टर" से धारा 31 के अधीन रखे गये किसी भी श्रेणी के वैद्यों या हकीमों अथवा दाइयों का रजिस्टर अभिप्रेत है;

(xiii) से (xviii) XX XX XX XX XX

(xix) "वैद्य" से आयुर्वेदिक चिकित्सा या शल्य चिकित्सा पद्धति का व्यवसायी अभिप्रेत है।

(2) XX XX XX XX XX

XX XX XX XX XX

6. बोर्ड का गठन.- (1) बोर्ड में अध्यक्ष सहित ग्यारह सदस्य होंगे जो निम्नलिखित रीति से नियुक्त किये जायेंगे, अर्थात्:-

(i) अध्यक्ष राज्य सरकार द्वारा अधिमान्यत: व्यवसायियों में से नामनिर्देशित किया जायेगा और वह सरकार का वैतनिक सेवक नहीं होगा,

(ii) तीन सदस्य वैद्यों में से, जो राज्य सरकार के वैतनिक सदस्य हैं, राज्य सरकार द्वारा नामनिर्देशित किये जायेंगे,

(iii) एक सदस्य हकीमों में से जो सरकार के वैतनिक कर्मचारी हैं, राज्य सरकार द्वारा नामनिर्देशित किया जायेगा,

(iv) चार सदस्य रजिस्ट्रीकृत वैद्यों द्वारा अपने में से विहित रीति से निर्वाचित किये जाएंगे,

(v) एक सदस्य रजिस्ट्रीकृत हकीमों द्वारा अपने में से विहित रीति से निर्वाचित किया जायेगा,

(vi) एक सदस्य रजिस्ट्रीकृत दाइयों द्वारा अपने में से विहित रीति से निर्वाचित किया जायेगा।

(2) से (4) XX XX XX XX XX

XX XX XX XX XX

20. सलाहकार समितियों की स्थापना.- (1) बोर्ड इस निमित्त बनाये गये किन्हीं नियमों के अध्यधीन निम्नलिखित सलाहकार समितियों की स्थापना करेगा, अर्थात्:-

(i) आयुर्वेदिक समिति,

(ii) यूनानी तिब्बी समिति, और

(iii) प्रसूति-विद्या समिति।

(2) प्रत्येक समिति निम्नलिखित से मिलकर बनेगी:-

(क) अध्यक्ष जो उसकी बैठकों की अध्यक्षता करेगा, और

(ख) बोर्ड द्वारा अपने ही सदस्यों में से या बाहर वालों में से या दोनों में से, जैसा भी वह विनिश्चय करे, नियुक्त किये गये दो सदस्य होंगे, जो

(i) आयुर्वेदिक समिति के मामले में वैद्य होंगे,

(ii) यूनानी तिब्बी समिति के मामले में हकीम होंगे, और

(iii) प्रसूति विद्या समिति के मामले में दाई होंगी।

(3) से (5) XX XX XX XX XX

XX XX XX XX XX

23. निधियों का आवंटन तथा उनका नियंत्रण.- (1) राज्य सरकार अपने द्वारा बनाए गए नियमों के अनुसार राजस्थान में आयुर्वेदिक तथा यूनानी तिब्बी चिकित्सालयों, अस्पतालों, रुग्णालयों, प्रसवाश्रमों, शल्य चिकित्सा संबंधी संस्थाओं और प्रसूति-गृहों तथा इस अधिनियम के लक्ष्यों और उद्देश्यों से संगत अन्य उपयुक्त संस्थाओं को वितरण करने के लिए प्रत्येक वर्ष एक मुस्त राशि का आवंटन बोर्ड के इखत्यार में रख सकेगी।

(2) XX XX XX XX XX

XX XX XX XX XX

31. रजिस्टरों का बनाये रखना.- बोर्ड विहित प्ररूप में तथा विहित रीति से निम्न लिखित रजिस्टर बनाये रखेगा:-

(i) वैद्यों का एक रजिस्टर,

(ii) हकीमों का एक रजिस्टर, और

(iii) दाइयों का एक रजिस्टर, तथा ऐसा प्रत्येक रजिस्टर दो भागों में विभाजित किया जायेगा-

(क) प्रथम भाग में वर्ग 'क' के वैद्यों, हकीमों और दाईयों के, यथास्थिति, नाम होंगे, और

(ख) द्वितीय भाग में वर्ग 'ख' के व्यक्तियों के नाम होंगे।

32. रजिस्ट्रीकृत होने के हकदार व्यक्ति.- (1) अनुसूची के भाग 'क' में वर्णित अर्हताओं में से कोई भी योग्यता रखने वाला प्रत्येक व्यक्ति, इस अधिनियम के अन्य उपबन्धों के अध्यधीन रहते हुए और धारा 33 द्वारा विहित फीस देने पर, ऐसी शर्तों के अध्यधीन रहते हुए जिन्हें बोर्ड विहित करे समुचित रजिस्टर में अपना नाम वर्ग 'क' के वैद्य, हकीम अथवा दाई, यथास्थिति, के रूप में प्रविष्ट करवाने का हकदार होगा।

(2) से (7) XX XX XX XX XX

XX XX XX XX XX

35. सूचियों को बनाये रखना.- बोर्ड विहित प्ररूप में तथा विहित रीति में ऐसे चिकित्सा व्यवसाय करने वाले वैद्यों, हकीमों और दाईयों की भी पृथक्-पृथक् सूचियां बनाये रखेगा जो न तो रजिस्ट्रीकृत हैं और न रजिस्ट्रीकृत होने के लिए अर्हित हैं।

XX XX XX XX XX

38. अनुसूची का संशोधन.- (1) यदि बोर्ड का इस बात से समाधान हो जाए कि-

(क) अनुसूची के भाग "क" में तत्समय सम्मिलित नहीं किये गये किसी विश्वविद्यालय, चिकित्सीय निगम, परीक्षक निकाय या अन्य संस्था द्वारा दी गई कोई उपाधि डिग्री

या प्रमाण-पत्र, इस बात की पर्याप्त गारण्टी है कि ऐसी उपाधि, डिग्री या प्रमाण-पत्र धारण करने वाला व्यक्ति, बोर्ड की राय में, वर्ग "क" के वैद्‌य, हकीम या दाई के रूप में दक्षतापूर्ण व्यवसाय के लिए अपेक्षित ज्ञान अथवा कौशल रखता है, या

(ख) से (घ) XX XX XX XX XX

(2) XX XX XX XX XX

XX XX XX XX XX

47. बोर्ड की शक्तियां.- बोर्ड को निम्नलिखित शक्तियां प्राप्त होंगी, अर्थात्‌:-

(1) से (3) XX XX XX XX XX

(4) बोर्ड के अख्तियार में रखी गई निधियों में से राजस्थान में आयुर्वेदिक तथा यूनानी तिब्बी चिकित्सालयों और अस्पतालों, रुग्णालयों, प्रसवालयों, शल्य चिकित्सा संबंधी संस्थाओं और प्रसूति-गृहों को राज्य सरकार द्‌वारा निर्मित नियमों के अध्यधीन, अनुदान वितरण करना; और

(5) XX XX XX XX XX

XX XX XX XX XX

51. अर्हित व्यवसायियों के प्रमाण-पत्र.- तत्समय प्रवृत्त किसी भी विधि में किसी बात के होने पर और धारा 50 के उपबन्धों के अध्यधीन:-

(1) से (2) XX XX XX XX XX

(3) कोई भी रजिस्ट्रीकृत व्यवसायी राज्य सरकार द्‌वारा समर्थित या उससे कोई अनुदान प्राप्त करने वाले किसी आयुर्वेदिक या यूनानी चिकित्सालय, अस्पताल, रुग्णालय, प्रसवालय, शल्य चिकित्सा-संस्था या प्रसूतिगृह में अथवा भारतीय चिकित्सा, शल्य चिकित्सा तथा प्रसूति विद्‌या के संबंध में संव्यवहार करने वाले किसी सार्वजनिक स्थापन निकाय या संस्था में वैद्‌य, हकीम, दाई या अन्य चिकित्सा अधिकारी के रूप में कोई भी पद धारण करने के लिए पात्र होगा।

(4) XX XX XX XX XX

52. वैद्यों आदि जो बोर्ड द्वारा मान्यता प्राप्त शैक्षणिक संस्थाओं से अर्हित हैं, के लिए कतिपय नियुक्तियों (पदों) का आरक्षण.- राज्य सरकार की विशेष मन्जूरी के सिवाय, रजिस्ट्रीकृत वैद्य, हकीम या दाई से भिन्न कोई भी व्यक्ति जो उक्त प्रयोजन के लिए बोर्ड द्वारा मान्यता प्राप्त संस्था से अर्हित है, और जो राजस्थान का अधिवासित निवासी है राज्य सरकार या किसी स्थानीय प्राधिकारी द्वारा या उसके नियंत्रण के अधीन संधारित आयुर्वेदिक या यूनानी तिब्बी अस्पताल रुग्णालय, औषधालय, प्रसवालय, शल्य चिकित्सा संस्था या प्रसूति-गृह में स्वास्थ्य-चिकित्सा-अधिकारी के रूप में या वैद्य, हकीम, दाई या अन्य चिकित्सा अधिकारी के रूप में नियुक्ति धारण करने में सक्षम नहीं होगा:

परन्तु इस अधिनियम के प्रवृत्त होने की तारीख को राज्य सरकार या स्थानीय प्राधिकारी की सेवा में विद्यमान वैद्य, हकीम और दाई अपने पद धारण किये रहेंगे।

XX XX XX XX XX

54. नियम.- (1) XX XX XX XX XX

(2) विशिष्टतया, तथा पूर्वगामी शक्ति की व्यापकता पर प्रतिकूल प्रभाव डाले बिना, राज्य सरकार निम्नलिखित विषयों में से किसी भी विषय के लिए नियम बना सकेगी, अर्थात्:-

(क) से (ङ) XX XX XX XX XX

(च) रजिस्टरों का प्ररूप और वैद्यों, हकीमों और दाइयों की सूचियां, जो इस अधिनियम के अधीन रखी जायेंगी;

(छ) से (ठ) XX XX XX XX XX

(3) XX XX XX XX XX

XX XX XX XX XX

अनुसूची

(धारा 32 देखिये)

भाग "क"

व्यक्ति, जो रजिस्टरों के भाग "क" में अपने नाम प्रविष्ट करवाने के हकदार हैं।

1. से 4. XX XX XX XX XX

5. राजस्थान में चिकित्सा व्यवसाय करने वाले वैद्य, हकीम या दाई-

(क) जो इस अधिनियम के प्रारम्भ होने के समय जयपुर आयुर्वेदिक एण्ड यूनानी तिब्बी प्रैक्टिशनर्स एक्ट, 1943 के अधीन वर्ग "क" के वैद्य, हकीम या दाई के रूप में रजिस्ट्रीकृत हैं, या

(ख) यद्यपि जिनके पास इस भाग में विनिर्दिष्ट अर्हताओं में से कोई अर्हता नहीं हैं तथापि जो बोर्ड की राय में पर्याप्त अवस्थिति, ख्याति और योग्यता रखते हैं और जो अपने पेशे में अपने कौशल के लिए इतने विख्यात हैं कि वे उसके कारण रजिस्टरों के भाग "क" में रजिस्ट्रीकरण हेतु दावा करने के हकदार हैं, परन्तु वे अपने व्यवसाय-काल संबंधी विहित शर्ते पूरी करते हों।

भाग "ख" XX XX XX XX XX

XX XX XX XX XX

<u>2015 का विधेयक सं.39</u>

राजस्थान भारतीय चिकित्सा (संशोधन) विधेयक, 2015

(जैसाकि राजस्थान विधान सभा में पुरःस्थापित किया जायेगा)

राजस्थान विधान सभा

राजस्थान भारतीय चिकित्सा अधिनियम, 1953 को और संशोधित करने के लिए विधेयक।

(जैसाकि राजस्थान विधान सभा में पुरःस्थापित किया जायेगा)

पृथ्वी राज,

विशिष्ट सचिव।

(राजेन्द्र राठौड़, **प्रभारी मंत्री**)

Bill No. 39 of 2015

THE RAJASTHAN INDIAN MEDICINE (AMENDMENT) BILL, 2015

(To be introduced in the Rajasthan Legislative Assembly)

RAJASTHAN LEGISLATIVE ASSEMBLY

A

Bill

further to amend the Rajasthan Indian Medicine Act, 1953.

(To be introduced in the Rajasthan Legislative Assembly)

Prithvi Raj,
Special Secretary.

(Rajendra Rathore, **Minister-Incharge**)